झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

राज्य सरकार के कर्मियों के मातृत्व अवकाश की अधिसीमा में अभिवृद्धि।

राज्य सरकार के महिला एवं पुरूष कर्मियों के लिए मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश वित्त विभाग के संकल्प संख्या 551/वि०, दिनांक 01.03.2007 के द्वारा स्वीकृत है। षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13018/2/2008 – स्था० (एल), दिनांक 11.09.2008 के द्वारा केन्द्र सरकार के महिला कर्मियों के लिए मातृत्व अवकाश की अधिसीमा 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किया गया है।

2. केन्द्र सरकार के कर्मियों के अनुरूप राज्य सरकार के कर्मियों के मातृत्व अवकाश की अधिसीमा 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किये जाने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

3. सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार ने केन्द्रीय कर्मियों को प्रदत्त मातृत्व अवकाश के अनुरूप महिला कर्मियों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया हैं।

4. मातृत्व अवकाश की पात्रता हेतु वित्त विभागीय संकल्प संख्या 551, दिनांक 01.03.2007 में निहित शर्त्ते यथावत् लागू रहेंगे।

5. संकल्प की निर्गत की तिथि से यह सुविधा अनुमान्य होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(सुखदेव सिंह)
सरकार के सचिव
वित्त विभाग, झारखंड, राँची

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक : वि०प्र०–6A (मा० एवं पि० अव०)–2/2010..........राँची, दिनांक.................

प्रतिलिपि : अधीक्षक, सचिवालय राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं इसकी 100 अतिरिक्त प्रतियां वित्त प्रशाखा–6ए को भी उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
(सुखदेव सिंह)
सरकार के सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची

ज्ञापांक : वि०प्र०–6A (मा० एवं पि० अव०)–2/2010..........राँची, दिनांक.................

प्रतिलिपि : महालेखाकार, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(सुखदेव सिंह)
सरकार के सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची

ज्ञापांक : वि०प्र०–6A (मा० एवं पि० अव०)–2/2010 1997/वि० राँची, दिनांक 1/7/10

प्रतिलिपि : महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/महामहिम सलाहकार के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/सभी विभागीय सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार/उप–कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sukhdev
23/06

(सुखदेव सिंह)
सरकार के सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची

Scanned with CamScanner